

Form No. III
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

कालुसिंह

बनाम

संजय वगैराह

किस्मा मुकदमा राजस्व अपील

नं० 012

सन्

2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.09.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई हाजिर नहीं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। हस्तगत अपील तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 75 LR ACT 1956 के विधिक उपाबंधों के अधीन इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपील में मय प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम एवं दस्तावेज अधिवक्ता अपीलांट को लौटाया जावें। अपील में छया प्रति पत्रावली में संलग्न करें। पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



- ह० -
(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी),
चित्तौड़गढ़